(v) Fiscal incentives are provided for installation of pollution control equipment and shifting of polluting industries from congested areas;

(vi) A time-bound action plan for control of emission from the 17 categories of polluting industries has been prepared in consultation with the State Government.

वनों के विकास के लिये परियोजना

4112. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से वनों के विकास के लिये कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये एक वानिकी परियोजना प्रस्तुत की है। 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 9325 मिलियन रुपये है। इस परियोजना के प्रस्तावित मुख्य कार्यकलापों में अवक्रमित वनों का पुनरूद्धार, फार्म वानिकी, सुरक्षित क्षेत्रों की उन्नत प्रबंध व्यवस्था, वानिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण विस्तार और प्रचार आदि शामिल है। परियोजना के अन्तर्गत लगभग 0.87 मिलियन हैक्टेयर भूमि को शामिल किये जाने और वृक्षारोपण के लिये 370 मिलियन पौद वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता के प्रावधान हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर प्रदेश में निर्धारित वन क्षेत्र

4113. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वनों के लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है और उसमें से कितना क्षेत्र वास्तव में वनाच्छादित है ;

(ख) वनों के लिये निर्धारित क्षेत्र और वास्तविक वनाच्छादित क्षेत्र की अखिल भारतीय स्तर पर क्या स्थिति है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में वानिकी की समस्या के कारण कितनी परियोजनायें स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है ; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1991 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र तथा वास्तविक वनस्पति क्षेत्र क्रमशः 51,502 वर्ग कि.मी. तथा 33,609 वर्ग कि.मी. है।

(ख) वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1991 के अनुसार हमारे देश का दर्ज वन क्षेत्र तथा वास्तविक वनस्पति क्षेत्र क्रमशः 7,70,078 वर्ग कि.मी. तथा 6,39,182 वर्ग कि.मी. है;

(ग) 28-2-93 तक केन्द्र सरकार के समक्ष वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजनों के लिये वन भूमि के उपयोग हेतु लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिये)**

(घ) राज्य सरकार के सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होते हैं उन पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाई की जाती है ।

विवरण

प्रस्ताव का नाम	जिला	क्षेत्र
		हैक्टेयर
1. अल्मोड़ा मेग्नेसाइट लि0 के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	अल्मोड़ा	111.87
2. मदनावेली डोबनास मोटर रोड का निर्माण	पिथौरागढ़	3.915
3. बंडल माला ग्राम समूह	पौड़ी	0.0212
4. सैटेलाइट स्टेशन	उत्तराकाशी	0.2
5. सिदारवाला खादारी नहर	देहरादून	0.40
6. रिपोर्टिंग पुलिस पोस्ट	पौड़ी	0.1
7. पी.डी.एल. से मलाकोट तक हल्के वाहन (लाइट व्हीकल) रोड	पिथौरागढ़	3.7539
8. रिपोर्टिंग पुलिस पोस्ट सनेह	पौड़ी	0.1
9. जमेरा डी.डब्ल्यू.एस.एस.	नैनीताल	0.024
10. लखमोली हिसारियाखल जामरीखल हल्के मोटर वाहन रोड	टिहरी	3.363
11. पदमपुरी थाना चुली से जानकंडा तक हल्के वाहन मोटर रोड	पिथौरागढ़	0.37

वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु जैविक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना

4114. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु कोई नई जैविक प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई प्रणाली के अंतर्गत कितना क्षेत्र राज्यवार शामिल किया गया है ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत वन क्षेत्र के लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग). माइकोरिजा औररिजोविया की मृदा में मिलाकर पुनरुद्धार की जैविक विधि, वृक्षारोपणों में काफी सफल रही है। इस प्रौद्योगिकी को परती भूमि तथा मरुस्थलों में लवण-सहृय प्रजातियों जैसे नीम, बबूल, यूकेलिप्टस, एट्रिप्लेक्स, जिजीफस आदि उगाने में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया गया है ।

लवणीय मिट्टी वाले विभिन्न राज्यों में इस प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वनपालों, वैज्ञानिकों आदि को प्रशिक्षण देती है । प्रारम्भ में, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में इस प्रौद्योगिकी